न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 60/24 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2024/69)

कपूर पुत्र देवीलाल जाति मीना निवासी बडौद तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर मु0नं0 75/2020 कपूर बनाम सरकार निर्णय दिनांक 06.08.2021 (75 एल आर एक्ट) व तहसीलदार खण्डार निर्णय दिनांक 19.02.2020 बसिलसिले प्रकरण संख्या 197/2020 सरकार बनाम कपूर (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री राधेश्याम वैष्णव वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 22.08.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार खण्डार के निर्णय दिनांक 19.02.2020 व अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 06.08.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार खण्डार ने आदेश दिनांक 19.02.2020 से अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 570/1 के रकबा 8.00 किस्म गैर मुमकिन तालई वाकै ग्राम बडौदा पर सम्वत 2077 में अमरूद, शीशु, पौध, गेहूं, चना की फसल काश्त किये जाने का अतिक्रमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत अपीलान्ट को वेदखल किया जाकर विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित किये जाने के आदेश के साथ–साथ पश्चातवर्ती अतिचारी होना मानकर 60 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से भी दण्डित किया गया। अपीलान्ट के द्वारा तहसीलदार खण्डार की ओर से पारित उक्त आदेश दिनांक 19.02.2020 के विरूद्ध अति0जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की गई। जिसमें अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2021 पारित कंर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार करते हुय आदेश पारित किये कि तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2020 में बेदखली, शास्ति, का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 60 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त कर सजा को माफ किया जाता है। अति0 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 06.08.2021 के खिलाफ अपीलान्ट की

22.8.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं लिहाजा वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषकगण ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार खण्डार की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.02.2020 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2021 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार खण्डार द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 570/1 रकबा 8 बीघा किस्म गै0मु0 तलाई वाकै ग्राम बडौद पर सम्वत 2077 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये तीन माह का सिविल कारावास एवं पैनल्टी तथा बेदखली से दण्डित किया गया है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया। तहसीलदार खण्डार की ओर से पारित उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गई अपील में भी अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये रिकार्ड व तथ्यों का अवलोकन नहीं कर केवल सिविल कारावास की सजा को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि तहसीलदार खण्डार द्वारा पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत की गई मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का द्वारा दिये गये बयानों में जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। इसलिये अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व मौके पर अपीलान्ट का कब्जा होने के संबंध में कोई जॉच नहीं की गई। इसके अलावा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का रिकार्ड भी अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न नहीं है। अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में बेदखल किये जाने के संबंध में पारित निर्णय, निर्णय की पालना में पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किये जाने की रिपोर्ट व गवाहों के बयान आदि भी पत्रावली में संलग्न नहीं हैं। जबकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई निर्णयों में यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पूर्व में पारित भौतिक बेदखली के वक्त उपस्थित गवाहों के बयान रिकार्ड पर लिये जाने चाहिए। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने भी अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त उपरोक्त तथ्यों पर कोई गौर नहीं कर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने का आदेश दिया है, जो कि उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निरस्तनीय है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.05.2024 को पटवारी हल्का द्वारा यह बताये जाने पर कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील का निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध हो चुका है। इसलिये विवादित भूमि से बेदखली करेंगे। इस पर अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 06.05.2024 को अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में निर्णय दिनांक 06.08.2021 की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 07.05.2024 को निर्णय की नकल प्राप्त की गई। नकल प्राप्त होने से अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। इसलिये अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे तथा तहसीलदार खण्डार की ओर से पारित निर्णय दिनांक 19.02.2020 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.08.2021 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत की जा रही कार्यवाही अपास्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.08.2021 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 23.05.2024 को अपील पेश की गई है, जो कि विलम्ब से पेश किये जाने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुये दर्ज रजिस्टर की गई है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को तय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ संलग्न लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.05.2024 को पटवारी हल्का से होने तथा निर्णय की नकल दिनांक 07.05.2024 को प्राप्त होने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा भी माननीय राजस्व मण्डल व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालयों को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा अपील को तकनीकी बिन्दु पर खारिज किये जाने से बचना चाहिए। इसलिये अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार किये जाने का आदेश दिया जाता है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो पटवारी हल्का की ओर से अपीलान्ट के विरूद्ध आराजी खसरा नंबर 570/1 रकबा 27.18 है0 के

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

12-8-2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

8 बीघा रकबे में अमरूद, शिशु पौध, गेहूं, चना व जोत आदि लगाये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 19.02.2020 को उनके कार्यालय में उपस्थित होकर पक्ष रखे जाने की अपेक्षा की गई। उक्त नोटिस के कम में अपीलान्ट दिनांक 19.02.2020 को तहसीलदार खण्डार के न्यायालय में उपस्थित हुये, परन्तु किसी प्रकार का कोई जवाब आदि पेश नहीं किया गया। इस पर तहसीलदार खण्डार द्वारा पटवारी हल्का के बयान लेने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.02.2020 को पारित किया गया है। जिसमें अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नंबर 570/1 रकबा 8 बीघा किस्म गैर मुमकिन तलाई पर जिन्स, अमरूद, शिशु पौध, गेंहू, चना जोत कर अतिक्रमण किये जाने के कारण बेदखल किये जाने तथा लगान की 50 गुना शास्ती के दण्ड से दण्डित करते हुये पश्चातवर्ती अतिचार के आधार पर 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट की ओर से उक्त निर्णय की अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को निर्णय दिनांक 06.08.2021 के द्वारा आंशिक रूप से अपील स्वीकार कर तहसीलदार खण्डार की ओर से पारित निर्णय दिनांक 19.02.2020 में बेदखली व शास्ती के आदेश को यथावत रखते हुये अपीलान्ट को दिये गये सिविल कारावास की सजा को माफ किया गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित उपरोक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि उक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट को अदालत मातहत ने सुनवाई व सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। पश्चातवर्ती अतिचारी होने के संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलान्ट को बेदखल किया गया हो, के संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। इसलिये यह मानते हुये कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार होने का कोई सबूत पत्रावली में नहीं है। इस आधार पर तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2020 में दिये गये सिविल कारावास की सजा को माफ किया गया है। अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में इस तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट के द्वारा रिपोर्ट वर्ष में विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया हो। अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई है। इस भूमि पर अतिक्रमण होने के संबंध में अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न की गई विभिन्न वर्षों की खसरा परिवर्तनशील की प्रति से भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अतिक्रमण है। इसलिये अपीलान्ट

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के विरूद्ध एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत की जाने वाली कार्यवाही में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2021 यथावत रखा जाता है। तहसीलदार खण्डार को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उनकी ओर से पारित निर्णय दिनांक 19.02.2020 की पालना में अपीलान्ट को विवादित भूमि से नियमानुसार अविलम्ब भौतिक रूप से बेदखल किया जावे। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि चूंकि विवादित भूमि जिसकी किस्म गैर मुमकिन तलाई है, पर हो रहे अतिक्रमणों के संबंध में पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट प्राप्त करें तथा जिन व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, उनके विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करें एवं जिन व्यक्तियों द्वारा पश्चातवर्ती अतिचार किया गया है, उनके द्वारा पूर्व वर्षों में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट, रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया निर्णय, निर्णय की पालना में भौतिक रूप से बेदखल किये जाने की रिपोर्ट, पटवारी हल्का के बयान व संबंधित अतिक्रमी को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद नियमानुसार सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किये जाने की कार्यवाही करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर